



# JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

CIN: U40109RJ2000SGC016486

JPD/Rules- 1110

(A Government of Rajasthan Undertaking)  
{Chief Accounts Officer(IA)}

Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur 302005  
Tel: 0141-2740264, 2740381 Ext. 1436 /Fax: 0141-2740264  
Website: [www.jaipurdiscom.com](http://www.jaipurdiscom.com) Email: [caoia@jvvn.in](mailto:caoia@jvvn.in)

No. JPD/CAO(IA)/AO/Rules/F.12 / D. 2579

Jaipur, dated: 5/9/2017

## ORDER

**Sub: - Medical tests/investigations of working non-gazetted employees having age of 50 years or more..**

The Managing Director, while exercising powers conferred vide order No. JPD/CAO(IA)/AO/Rules/F.90/D. 3203 dated 20.01.2014 (JPD/Rules-939), is pleased to adopt the Department of Personnel, GoR's Circular No. F.17(3)/Karmik/Kha-1/17 dated 26.07.2017 (copy enclosed), regarding Medical tests/investigations of working non-gazetted employees having age of 50 years or more on compulsory basis in the hospitals attached to medical colleges or district level government hospitals.

Charges of the tests/investigations mentioned in the circular, if any, charged, by the Govt. hospitals/satellite shall be reimbursed as per provisions of the RCS (Medical Attendance) Rules, 2013.

By order,

(Dr. R.P.Gupta)

Chief Accounts Officer (IA)

Copy forwarded to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control: -

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer ( ), JPD, \_\_\_\_\_
2. The Dy. Chief Engineer ( ), JPD, \_\_\_\_\_
3. The Chief Personnel Officer, JPD, Jaipur.
4. The Secretary (Admn.)/Company Secretary, JPD, Jaipur.
5. The Chief Accounts Officer (FM-W&M/ Rev. & Billing) JPD, Jaipur.
6. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JPD, Jaipur.
7. The Superintending Engineer ( ), JPD, \_\_\_\_\_
8. The Superintending Engineer (IT), JPD, Jaipur. He is requested to upload this order indicating JPD/Rules No. on the Jaipur Discom's website.
9. The Sr. Accounts Officer ( )/ Dy. Director of Personnel ( ), JPD, \_\_\_\_\_
10. The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer ( ), JPD, \_\_\_\_\_
11. P.A to the Chairman, Discoms/Managing Director, JVVNL, Jaipur.
12. P.A to the Director (Finance/Technical), JPD, Jaipur.

(S.M.Rafique)

Asst. Accounts Officer (Rules)

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (ख-1) विभाग

पत्र क्रमांक: प.17(3)/कार्मिक/ख-1/17

जयपुर, दिनांक 26 JUL 2017

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में सेवारत समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों जिनकी आयु 50 वर्ष एवं इससे अधिक हैं, की स्वास्थ्य संबंधी कुछ विशिष्ट परीक्षण/जांच अनिवार्य रूप से करवाई जानी है। अतः 50 वर्ष या इससे अधिक आयु के सेवारत समस्त अराजपत्रित सेवा के कर्मचारी, 03 वर्ष में एक बार चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों अथवा राजकीय जिला स्तरीय चिकित्सालयों अथवा निम्न बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखित सुविधाओं प्रदत्त करवाने वाले राजकीय चिकित्सालयों द्वारा परीक्षण करवाकर, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ प्रतिवेदक अधिकारी को वर्ष 2017-18 एवं उसके पश्चात् के प्रतिवेदनों के साथ संलग्न कर निम्नानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	01.04.2017 को आयु	वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट	अनिवार्य स्वास्थ्य जांच का वर्ष
1	वे कर्मचारी जिनकी आयु 56 से 59 वर्ष की है।	2017-18	2017-18
2	वे कर्मचारी जिनकी आयु 53 से 56 वर्ष की है।	2018-19	2018-19
3	वे कर्मचारी जिनकी आयु 50 से 53 वर्ष की है।	2019-20	2019-20

2. उपरिवर्णित तालिका अनुरूप समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों को निम्नांकित जांचे यथा समय करवाना अनिवार्य होगा :-

Sr. No.	Investigations under Annual Health Check-up
1	Haemogram (i) CBC (ii) DLC (iii) PBF
2	Urine Examination (i) Colour (ii) Albumin (iii) Sugar (iv) Microscopic Examination
3	Blood Sugar (i) Fasting (ii) Post-prandial (if needed)
4	Lipid Profile (i) Total Cholesterol (ii) HDL Cholesterol (iii) LDL Cholesterol (iv) VLDL Cholesterol (v) Triglycerides
5	Liver Function Tests (i) S. Bilirubin (Total) (ii) S. Bilirubin (Direct) (iii) SGOT (iv) SGPT
6	Kidney Function Tests (i) Blood Urea (ii) S. Creatinine (iii) S. Uric Acid
7	Cardiac Profile (i) S.LDH (ii) CK-MB (iii) SGOT For Men: PSA (Symptomatic/optional)
8	X-Ray- Chest (optional)
9	ECG
10	USG Abdomen
11	Gynaecological Health Check up (i) Pelvic Examination (ii) Local Examination (iii) Per Vaginum (P/V) (iv) Per Speculum (v) Surgical Examination (vi) Breast Examination
12	Eye Examination (optional) (i) Distant Vision (ii) Vision with Glasses (iii) Colour Vision (iv) Tonometry (if needed) (v) Fundus Examination
13	ENT (optional) (i) Oral Cavity (ii) Nose (iii) Throat (iv) Larynx

## (v) Hearing Check up

14 Hbs Ag

**Summary of Medical Report (only copy if this part is to be attached to PAR)**

1	Overall Health of the Officer.	
2	Any other remarks based on the health medical check-up of the officer.	
3	Health Profile grading.	

Date:

Signature of Medical Authority

Name of Medical Officer

Designation.

- उक्त चिकित्सा परीक्षण, मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों, राजकीय चिकित्सालयों, सेटेलाइट अस्पतालों द्वारा निशुल्क होगी।
- संबंधित कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य जांच करवाने के पश्चात् किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी को जांच रिपोर्ट दिखाई जायेगी। स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा अतिरिक्त जांच कराने की सलाह दी जाती है तो ऐसी जांचों का पुनर्माण चिकित्सा परिचर्या नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अनुज्ञेय होगा।
- इन चिकित्सकीय जांचों हेतु किसी प्रकार का पृथक से विशेष अवकाश व यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- परीक्षण करवाने वाले कार्मिक द्वारा अपनी आयु संबंधी दस्तावेज संबंधित चिकित्सालय को उपलब्ध किया जाएगा।
- चिकित्सा परीक्षण संबंधित वार्षिक कार्य मूल्यांकन वर्ष के दौरान कमी भी कराया जा सकेगा।
- वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग प्रथम के कॉलम संख्या 8 के बिन्दु संख्या 4 में संशोधन कर 4ए करवाया जा रहा है।
- वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग प्रथम के कॉलम संख्या 6 के बिन्दु संख्या 4ए भरकर कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन सक्षम प्रतिवेदक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(भास्कर ए. सावंत)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव, राज0 जयपुर।
- वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सचिवालय, जयपुर।
- विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव एवं अन्य अधिकारीगण।
- प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया समस्त राजकीय जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं उक्त सुविधाओं प्रदत्त करवाने वाले राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा परीक्षण निःशुल्क करवाने के संबंध में निर्देश जारी करवावें।
- शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों एवं इससे संबंधित चिकित्सालयों तथा राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा परीक्षण निःशुल्क करवाने के संबंध में निर्देश जारी करवावें।
- निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों एवं इससे संबंधित चिकित्सालयों तथा राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा परीक्षण निःशुल्क करवाने के संबंध में निर्देश जारी करवावें।
- निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया समस्त राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा परीक्षण निःशुल्क करवाने के संबंध में निर्देश जारी करवावें।
- समस्त संभागीय आयुक्त।
- समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)।
- प्रशासनिक सुधार (सहिताकरण) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
- प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

(यू0डी0 खान)

संयुक्त शासन सचिव

26/11